राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1781/2019

श्रीमती गायत्री शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, भीलवाडा।
3. मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।
4. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोदूकोटा, जिला भीलवाडा।
5. प्रीतिबाला शर्मा, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय संस्कृत, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर, सुवाणा, जिला भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.07.2019

आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को शाला दर्पण पर अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर दर्शाया जावे और उसे अधिशेष घोषित नहीं किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1999 अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने विभाग की सहमति से

वर्ष 2014 में हिंदी विषय से बी.एड. उत्तीर्ण किया और उक्त योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र विभाग को प्रस्तुत किया और दिनांक 17.04.2015 के द्वारा अपीलार्थी की योग्यता अभिवृद्धि दर्ज करने के आदेश दिए गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर सुवाणा, भीलवाडा में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी का पद स्वीकृत है और प्रत्यर्थी विभाग ने शाला दर्पण पर उक्त विद्यालय में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर ऑनलाईन दर्शा रखा था। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के विरूद्ध सितम्बर, 2012 से पदस्थापित है और उसकी नियुक्ति भी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय संस्कृत में की गई है, परंतु उक्त विद्यालय में संस्कृत का पद स्वीकृत व रिक्त नहीं होने के कारण उसे लेवल प्रथम के विरूद्ध पदस्थापित कर रखा है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसे अधिशेष घोषित नहीं किया गया। अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम पर दर्शित करते हुए ऑनलाईन किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को जिसकी नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय संस्कृत पर होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को शाला दर्पण पर अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर ऑनलाईन किया गया है, जो राज्य सरकार की नीति एवं नियमों के विरूद्ध है और इस प्रकार अपीलार्थी को अधिशेष करने के आशय से उसका शाला दर्पण पर विषय परिवर्तित किया गया है। जबकि अपीलार्थी तलाकशुदा/परित्यकता महिला है और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। उक्त कृत्य प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को लाभ पहुंचाने के आशय से किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को शाला दर्पण पर अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिन्दी के पद पर दर्शाया जावे और उसे अधिशेष घोषित नहीं किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्राप्ति के बाद से ही अपनी प्रथम योग्यतानुसार पद पर कार्यरत थी एवं शालादर्शन पोर्टल पर उन्हें हिंदी के रिक्त पद पर लेवल निर्धारण से पूर्व समायोजित कर रखा था। शाला दर्पण/शाला दर्शन के अपडेशन के अनुसार योग्यता व विषय के आधार पर लेवल

का निर्धारण किया गया। नियुक्ति के पश्चात् प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित किए जाने पर उक्त योग्यता की उपयोगिता विधि अनुसार केवल पदोन्नति की पात्रता के निर्धारण हेतु ही मानी जाती है। अपीलार्थी एकल महिला व विकलांग होने के कारण सहमति पत्र के आधार पर लेवल प्रथम में समायोजित कर यथावत पदस्थापित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर, सुवाणा, भीलवाडा में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी को शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर दर्शाये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–3 नियुक्ति आदेश दिनांक 10.09.2012 के अवलोकन से प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को संस्कृत विषय के अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। जबकि आदेश दिनांक 14.09.2018 (अनुलग्नक–5) के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय हिंदी विषय की कार्मिक है और उसे अनुलग्नक–6 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम दर्शाया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को हिंदी विषय के स्वीकृत पद के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत विषय के पद पर कार्यरत दर्शाया गया है। जबकि अपीलार्थी को किसी भी विषय के पद का अंकन सूची में नहीं किया गया है, इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अपीलार्थी को किस विषय एवं पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी के पद पर पदस्थापित है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर, सुवाणा, भीलवाडा में हिंदी विषय का पद स्वीकृत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 जो कि संस्कृत विषय की अध्यापक है और उसे हिंदी विषय के पद के विरूद्ध पदस्थापित दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का जो पदस्थापन ऑनलाईन किया गया है, नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर, सुवाणा, भीलवाडा में शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर अपीलार्थी जो कि अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय हिंदी विषय की अध्यापिका है, का पदनाम एवं पदस्थापन जिस स्वीकृत पद के विरूद्ध उसे पदस्थापित किया गया है, का सही ऑनलाईन अपडेट किया जावे और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 जो कि अध्यापक ग्रेड तृतीय संस्कृत विषय की अध्यापिका है, उसका भी नियमानुसार उचित रूप से शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)